



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 जनवरी, 1979
षष्ठी 29, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या. 212/सवह-वि0-1-90-1978
लखनऊ, 19 जनवरी, 1979

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 पर दिनांक 12 जनवरी, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूची में इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन [का भुगतान] अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 4, 1979)

[जिसमें कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान को विनियमित करने और उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त

परिभाषा

2—इस अधिनियम में—

(क) "महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से है जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों को "लाइसेंसियेट इन टीचिंग" में प्रशिक्षण देता हो, और जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान मिल रहा हो;

(ख) "उप निदेशक" का तात्पर्य सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक से है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उप निदेशक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ग) किसी महाविद्यालय के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर-शिक्षक कर्मचारी से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय को दिया जाता हो;

(घ) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के ऐसे सहायक अनुदान से है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के समुपयुक्त अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे;

(ङ) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, "प्रबन्धतंत्र" का तात्पर्य उस महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रभारित प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है;

(च) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के योग से है जिसके अन्तर्गत महंगाई या कोई अन्य भत्ता भी है;

(छ) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में "अध्यापक" का तात्पर्य उस अध्यापक से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षण अनुदान दिया जा रहा था।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का भुगतान

3—(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन, उस मास के जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, आगामी मास के बीसवें दिन की या उसके पूर्व ऐसे दिन की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।

(2) वेतन का भुगतान, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी प्रकार की कटौती, सिवाय उन कटौतियों के जो राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, किये बिना, किया जायेगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अनुसार किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान प्रबन्धतंत्र की ओर से किसी व्यक्तिक्रम के कारण नहीं किया जाता है, वहाँ उप निदेशक इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उप धारा में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर ऐसे वेतन का भुगतान, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर, और नई नियुक्ति की स्थिति में उस वेतन-मान की, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, न्यूनतम दर पर, धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेख में जमा धन से कर सकता है या करा सकता है, और ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में कोई समायोजन, तत्पश्चात् यथाशीघ्र किया जायेगा।

निरीक्षण करने तथा निदेश जारी करने की शक्ति

4—(1) उप निदेशक, किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है या उसके प्रबन्धतंत्र से उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा-बही और वाउचर भी हैं) जिन्हें वह उचित समझे, मांग सकता है या उसके प्रबन्धतंत्र को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का, जिन्हें वह उचित समझे, अनुपालन करने के लिये कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने या किसी अपव्यय के निषेध का कोई निदेश भी है) दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन छंटनी का प्रत्येक निदेश शिक्षा निदेशक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिया जायेगा और उसमें ऐसा आगामी दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब से ऐसी छंटनी प्रवर्तनीय होगी।

(3) जहाँ छंटनी करने के लिये उपधारा (1) और (2) के अनुसार कोई निदेश दिया जाय, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक या कर्मचारी ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से, अनुरक्षण अनुदान के प्रयोजनार्थ, महाविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी नहीं रह जायेगा।

5--(1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र अपने अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में एक पृथक् लेखा खोलेंगा (जिसे आगे "वेतन भुगतान लेखा" कहा गया है) जो प्रबन्धतंत्र के एक प्रतिनिधि और उप निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे उप निदेशक इस निमित्त प्राधिकृत करे, संयुक्त रूप से चलाया जायेगा :

वेतन भुगतान की प्रक्रिया

परन्तु वेतन भुगतान लेखा खोल दिये जाने के पश्चात् उप निदेशक, यदि उसका, धारा 12 के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे को अकेले प्रबन्धतंत्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है :

परन्तु यह और कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट स्थिति में या ऐसी किसी अन्य स्थिति में जहां प्रबन्धतंत्र को कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उप निदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक न समीचीन हो, उप निदेशक, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि वेतन भुगतान लेखे को अकेले स्वयं उसके या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा चलाया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है ।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग और महाविद्यालय की, या उसके लाभ के लिये पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यासित, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय का भी, यदि कोई हो, ऐसा भाग जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, वेतन भुगतान लेखे में उस आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक तक जमा करेगा और तदुपरान्त प्रबन्धतंत्र ऐसे अनुदेशों का पालन करने के लिये आवश्यक होगा ।

(3) जहां उप निदेशक की राय हो कि प्रबन्धतंत्र उपधारा (2) या उसके अधीन दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस जमा करने में विफल रहा है, वहां उप निदेशक, आदेश द्वारा, प्रबन्धतंत्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है और तदुपरान्त उप-निदेशक फीस को (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकता है और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन भुगतान लेखे में जमा करेगा ।

(4) राज्य सरकार भी वेतन भुगतान लेखे में अनुरक्षण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि जमा करेगी जो उपधारा (2) और (3) के अधीन जमा की गयी धनराशियों को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (5) के अनुसार भुगतान करने के लिये आवश्यक हो ।

(5) वेतन भुगतान लेखे में जमा किसी धन का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा, अर्थात्:—

(क) महाविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी अवधि के लिये देय होने वाले वेतन का भुगतान के लिये;

(ख) महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में प्रबन्धतंत्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिये ।

(6) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान वेतन भुगतान लेखे से उसी बैंक में उसके लेखा में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके या यदि उस बैंक में उसका कोई लेखा न हो, तो बैंक द्वारा किया जायेगा ।

(7) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिचारकों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और उस स्थिति में इस धारा में बैंक के निर्देश किसी डाक घर बचत बैंक के निर्देश समझे जायेंगे ।

6--(1) राज्य सरकार प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों को ऐसे वेतन के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी अवधि के संबंध में देय हो ।

वेतन के संबंध में दायित्व

(2) राज्य सरकार किसी ऐसी धनराशि को जिसके सम्बन्ध में उस पर उपधारा (1) के अधीन कोई दायित्व हो, उस महाविद्यालय की या उसमें निहित सम्पत्ति के अंश की कुर्की करके वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व की कोई बकाया हो ।

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के किसी ऐसे देय के लिये महाविद्यालय के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा ।

पदों का अनुमोदन

7—कोई महाविद्यालय शिक्षा निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे निदेशक इस निमित्त शक्ति करे, पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का कोई नया पद सृजित नहीं करेगा।

दण्ड, शास्ति और प्रक्रिया

8—(1) यदि धारा 4 के अधीन किसी निदेशक का या धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाय तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यतिक्रम किये जाने के समय प्रबन्धक या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें महाविद्यालय का प्रबन्ध और कार्य-संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे व्यतिक्रम को रोकने के लिये सभी सम्यक् सावधानी बरती थी, धारा 3 के उपबन्धों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने की स्थिति में, जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और किसी अन्य व्यतिक्रम की स्थिति में कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई न्यायालय उप निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु उप अधीक्षक की श्रेणी से निम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे अपराध का अनुसंधान प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा।

(4) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

आदेशों का अन्तिम होना

9—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक, उप निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्य का संरक्षण

10—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

11—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाते में या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या समीचीन समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

12—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सकती है।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 212/XVII-V-1—90-1978

Dated Lucknow, January 19, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Prashikshan Mahavidyalaya (Adhyapakon Aur Anya Karamcharion Ke Vetan Ka Bhugatan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 12, 1979.

THE UTTAR PRADESH TRAINING COLLEGES (PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES) ACT, 1978

(U. P. ACT NO. 4 OF 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

to regulate the payment of salaries of teachers and other employees of the Training Colleges receiving aid out of the State funds and to provide for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Training Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1978.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in that behalf.

2. In this Act,—

Definitions.

(a) "college" means a recognised college imparting training in 'Licentiate in Teaching' to teachers for Higher Secondary Schools, and for the time being receiving maintenance grant from the State Government ;

(b) "Deputy Director" means the Regional Deputy Director of Education, and includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Deputy Director under this Act ;

(c) "employee" of a college means a non-teaching employee in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the college ;

(d) "maintenance grant" means such grant-in-aid of a college as the State Government by general or special order in that behalf directs to be treated as maintenance grant appropriate to the level of that college ;

(e) "management", in relation to a college, means the managing committee or other body charged with managing the affairs of that college ;

(f) "salary" of a teacher or employee means the aggregate of the emoluments, including dearness or any other allowance, for the time being payable to him at the rates approved for the purpose of payment of maintenance grant ;

(g) "teacher", in relation to a college, means a teacher in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1976-77.

3. (1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or employee of a college, in respect of any period after the date of commencement of this Act, shall be paid to him before the expiry of the twentieth day or such earlier day as the State Government may, by general or special order in that behalf, appoint of the month next following the month in respect of which or any part of which, it is payable.

Payment of salary within time and without unauthorised deductions.

(2) The salary shall subject to the provisions of sub-section (3), be paid without deductions of any kind except those authorised by a general or special order of the State Government in that behalf or by any other law for the time being in force.

(3) Where the salary of a teacher or employee of a college is not paid in accordance with sub-section (1) due to any default on the part of the management, the Deputy Director may, without prejudice to any other provisions of this Act, pay or cause to be paid within ten days from the date mentioned in that sub-section, such salary from the moneys credited to the account mentioned in sub-section (1) of section 5 at the rate of salary last drawn by such teacher or employee, as the case may be, and in case of fresh appointment at the rate of the minimum of the pay scale in which he has been appointed, and any adjustment in respect of such payment shall, thereafter, be made as soon as possible.

Power to inspect
and to issue
directions.

4. (1) The Deputy Director may, at any time, for the purposes of this Act inspect or cause to be inspected any college or call for such information and records (including registers, books of account and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its management any direction for the observance of such canons of financial propriety (including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit.

(2) Every direction for retrenchment under sub-section (1) shall be issued after obtaining the prior approval of the Director of Education and shall specify a future date on which such retrenchment shall become operative.

(3) Where any direction for retrenchment is issued in accordance with sub-sections (1) and (2), the teacher or the employee concerned shall, with effect from the date specified in such direction, cease to be a teacher or employee of the college for the purposes of the maintenance grant.

Procedure for
payment of salary.

5. (1) The management of every college shall, for the purpose of disbursement of salaries to its teachers and employees, open in a Scheduled Bank or a co-operative bank a separate account (hereinafter called "Salary Payment Account") to be operated jointly by a representative of the management and by the Deputy Director or such other officer as may be authorised by the Deputy Director in that behalf :

Provided that after the Salary Payment Account is opened, the Deputy Director may, if he is, subject to any rules made under section 12, satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the bank that the account shall be operated by the representative of the management alone, and may at any time revoke such instruction :

Provided further that in the case referred to in sub-section (3) or where in any other case after giving to the management an opportunity of showing cause, the Deputy Director is of opinion that it is necessary or expedient so to do, the Deputy Director may instruct the bank that the Salary Payment Account shall be operated only by himself or by such other officer as may be authorised by him in that behalf, and may at any time revoke such instruction.

(2) The State Government may, from time to time, require by general or special order that the management of a college shall deposit in the Salary Payment Account, such portion of the amount received from students as fees and also such portion of the income, if any, received from any property, movable or immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, and by such date, as may be specified in that order and thereupon, the management shall be bound to comply with such directions.

(3) Where the Deputy Director is of opinion that the management has failed to deposit the fees in accordance with the provisions of sub-section (2) or the orders issued thereunder, the Deputy Director may, by order, prohibit the management from realising any fee from the students and thereupon, the Deputy Director may realise the fees (either through the teachers of the college or in such other manner as he thinks fit) directly from the students and shall deposit the fees so recovered in the Salary Payment Account.

(4) The State Government shall also pay into the Salary Payment Account such amount as maintenance grant, which, after taking into consideration the amounts deposited under sub-sections (2) and (3), is necessary for making payment in accordance with sub-section (5).

(5) No money credited to the Salary Payment Account shall be applied for any purpose except the following, namely, -

(a) for payment of salary to the teachers and employees of the college falling due for any period after the commencement of this Act ;

(b) for crediting the management's contribution, if any, to the provident fund accounts of teachers and employees of the college.

(6) The salary of a teacher or employee shall be paid by transfer of the amount from the Salary Payment Account to his account, if any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

(7) In respect of a place where there is no Scheduled Bank or a co-operative bank the provisions of this section shall apply with such modification, as the State Government may, by notification, specify, and references in this section to a bank shall in that case be construed as references to a post office saving bank.

6. (1) The State Government shall be liable for payment of salaries of teachers and employees of every college due in respect of any period after the commencement of this Act.

Liability in respect of salary

(2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability is incurred by it under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the college as if that amount were an arrear of land revenue due from such college.

(3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the college for any such dues to the teacher or employee.

7. No college shall create a new post of teacher or employee except with the previous approval of the Director of Education or such other officer as may be empowered in that behalf by the Director.

Approval for posts.

8. (1) If any default is committed in complying with any direction under section 4, or with the provisions of section 3 or section 5, every person who at the time the default was committed was manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the college shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable in the case of a default in complying with the provisions of section 3 with fine which may extend to one thousand rupees, and in the case of any other default, with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Punishment, penalties and procedure.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Deputy Director.

(3) Every offence under this section shall be cognizable but no police officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefor without a warrant.

(4) No court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.

9. No order made or direction given by the State Government, the Director of Education, the Deputy Director or other officer in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

Finality of orders.

10. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government in respect of anything which in good faith is done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given thereunder.

Protection of act in good faith.

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reason of anything contained in this Act, the State Government may, by a notified order make such incidental or consequential provisions, including provisions for adapting or modifying any provision of this Act, but not affecting the substance, as it may think necessary or expedient for the purposes of this Act.

Power to remove difficulties.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature.

12. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.